सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एम.जेड.रहमान, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 11/2018 दिनांक 07.12.2018

श्री निर्मल तिर्की
पिता– श्री केन्दला तिर्की
ग्राम– टिकनी, पो.– शंकरगढ़
तहसील व थाना – शंकरगढ़
जिला– बलरामपुर (छ.ग.)
पिन – 497118

अपीलार्थी

O/o CE (EITC)
Receipt No. 6467
Date 09 JAN 2019
DGM (IT) / SE (O)
EE.....
Section ....

विरूद्ध

श्री सुनील कुमार खरे
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 08/01/2019 को पारित)

अपीलार्थी श्री निर्मल तिर्की की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ0ग0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 11/2018 दिनांक 07.12.2018 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री निर्मल तिर्की ने प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से परिचारक लाइन (संविदा) पद पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 01–04/पीडी–तीन/1864 दिनांक 25.07.2018 के संबंध में निम्नलिखित जानकारी चाही गई थी:–

(1) अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित प्रतीक्षा सूची की सत्यापित प्रति।

(2) अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिसमें उनके अधिकतम अंक के वर्णन पूर्ण रूप से हो।

जनसूचना अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी/दस्तावेज से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील आवेदन इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि समस्त जानकारी एवं दस्तावेज उन्हें निःशुल्क प्रदान की जावे।

(3) उक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र.–11/2018/37 दिनांक 26.12.2018 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को <u>दिनांक 03.01.2019</u> को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री तिर्की को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। उक्त निर्धारित सुनवाई तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी उपस्थित हुए,। तत्पश्चात् प्रकरण पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(4) निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि, आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई बिन्दुवार जानकारी जो प्रबंधक (मा.सं.)–तीन होल्डिंग कंपनी के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण पत्र क्रमांक 2310 दिनांक 19.09.2018 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा अपने यू.ओ.नोट क्रमांक 699 दिनांक 06.10.2018 के माध्यम से उक्त जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार अवगत करायी गई–

(अ) बिन्दु क्रमांक 01 – वांछित जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध नही है।

(ब) बिन्दु क्रमांक 02– वांछित जानकारी स्पष्ट न होने के कारण दिया जाना संभव नही है।

(स) बिन्दु क्रमांक 03– इस प्रभाग से संबंधित नही है।

तत्पश्चात् उपरोक्त वस्तुस्थिति से कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2577 दिनांक 09.10.2018 के माध्यम से आवेदक को अवगत करायी गई।

(5) निर्धारित तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित तथा प्रतिअपीलार्थी उपस्थित हुए। अपील के निराकरण की कार्यवाही एक अर्द्ध न्यायिक प्रकृति की है। अतः अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। प्राकृतिक न्याय का प्रमुख एवं सार्वभौम सिद्धांत है कि किसी निर्णय पर पहुँचने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) उक्त तिथि को संबंधित अभिलेखों का अवलोकन कर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का प्रथम अपील मुख्य तर्क कि कंडिका 02/टीप में वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा आधी–अधूरी, भ्रामक उपलब्ध करायी गई है। अतएव उक्त जानकारी उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का आदेश दिया जाए।

(iii) उक्ताशय के प्रत्युत्तर में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा **बिन्दु क्रमांक 01 में परिचारक लाइन (संविदा) के पद हेतु वांछित अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित प्रतीक्षा सूची जो वर्तमान में तैयार नहीं की गई है अतएव दिया जाना संभव नहीं है।** बिन्दु क्रमांक 02 में वांछित अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों की सूची (अंको सहित) स्पष्ट नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं करायी गई है, एवं बिन्दु क्रमांक 03 भर्ती प्रभाग से संबंधित नहीं है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन के बिन्दु क्रमांक 02 पर कार्यवाही कर जो जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है, वह पूर्णतः स्वीकार योग्य नहीं है। वस्तुतः प्रकरण में यथोचित हस्तक्षेप की आवश्यकता परिलक्षित होती है।

(i) उक्त कंडिका 4/टीप एवं 5(iii)/टीप के दृष्टिगत अपीलार्थी द्वारा बिन्दु क्रमांक 02 में स्पष्टतः अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों की सूची (अंको सहित) चाही गई है, जो उपलब्ध कराये जाने योग्य है, साथ ही बिन्दु क्रमांक 01 में जो जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध

करायी गई है, वह उचित है एवं कंडिका 5 (iii) में दिये गये प्रत्युत्तर, अपीलार्थी की शंका के समाधान हेतु पर्याप्त परिलक्षित होते हैं, जो तर्कसंगत है। तथा बिन्दु क्रमांक 03 में अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं चाही गई है।

(ii) प्रकरण में आये तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी कंडिका 2/टीप में वांछित द्वितीय बिन्दु की जानकारी पाने का हकदार है। अतएव प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावें।

उपरोक्त कंडिका 06 के दृष्टिगत अपीलार्थी द्वारा दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 11/2018 दिनांक 07.12.2018) स्वीकार करते हुए कंडिका 6(ii)/टीप में उल्लेखित निर्देशों के पालनार्थ प्रकरण एतदसह नस्तीबद्ध की जाती है।

(श्री एम.जेड.रहमान)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –11/2018/ 01 रायपुर, दिनांक 08/01/2019

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रबंधक (मा0सं0)–तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर – बिन्दु क्रमांक 02 की जानकारी जनसूचना अधिकारी को अतिशीघ्र उपलब्ध करावें।
3. श्री निर्मल तिर्की, पिता–श्री केन्दला तिर्की, ग्राम–टिकनी, पोस्ट–शंकरगढ़, जिला–बलरामपुर, (छ.ग.), पिन–497118 को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

EITC

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष–0771–2512106,2512108

(श्री एम.जेड.रहमान)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700